संख्या–सा–3– 1407 /दस–2010

(4)

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त विभागध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 23 जुलाई 2010

विषय :– दिनाँक 01 जनवरी, 1996 के पूर्व स्वीकृत अनन्तिम पेंशन का अभिनवीकरण / पुनरीक्षण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में कतिपय ऐसे प्रकरण आये हैं, जिनमें दिनॉक 01 जनवरी, 1996 के पूर्व किसी सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को विभागीय कार्यवाही आदि के प्रचलित हाने के कारण तत्समय लागू वेतनमानों में वेतन के आधार पर अनन्तिम पेंशन स्वीकृत की गयी तथा कार्यवाही के अन्तिम रूप से निस्तारित न हो पाने के कारण, सेवानिवृत्त कर्मी को अभी भी अनन्तिम पेंशन की वही राशि प्राप्त हो रही है। यही स्थिति दिनाँक 01 जनवरी, 1996 के पश्चात् परन्तु 01 जनवरी, 2006 के पूर्व स्वीकृत अनन्तिम पेंशन के मामलों में भी हो सकती है।

2– दिनाँक 01 जनवरी, 1996 के पूर्व सेवानिवृत्त सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण संबंधी आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–सा–3–1721/दस–308/97, दिनाँक 23 दिसम्बर, 1997 तथा दिनाँक 01 जनवरी, 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेशंनरों की पेंशन के पुनरीक्षण संबंधी आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–सा–3–1515/दस–2008–308/97, दिनाँक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा जारी किये गये हैं।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन को अवगत कराने का कष्ट करें कि आपके विभाग / अधीनस्थ कार्यालय के कितने ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक है जिनके अनन्तिम पेंशन का पुनरीक्षण उक्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अब तक नहीं किया गया है।

भवदीय,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।

––2/–

संख्या–सा–3– 1407 (1)/दस–2010, तद् दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1)– निदेशक, पेशंन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(2)– निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3)– डा0 सत्यानन्द, अध्यक्ष, आल इण्डिया आर्गनाइजेशन आफ पेशंनर्स, 120/469, लाजपत नगर, कानपुर – 208005

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।